

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग - रायबरेली

पत्रांक 2921 / 14-4-4 रायबरेली, दिनांक 21-11-2008

सेवा में,

मंडल अभियन्ता,
पूर संचार परियोजना
क्वार्टर नं० 5, 6 व 7 बी०एन०एन०एन० कालोनी
सेक्टर-2 विकास नगर, लखनऊ

विषय : जनपद रायबरेली में भारत संचार निगम लि० द्वारा लखनऊ-प्रतापगढ़ मार्ग संख्या-36 के कि०मी० 43.00 से 82.20 तक कुल 39.20 कि०मी० लम्बाई 0.45 मी० चौड़ाई में आंगणित क्षेत्रफल 1.764 हे० सुरक्षित वन भूमि में ओ०एफ०सी० विद्यमान के लिए गैर वानिकी कार्य हेतु अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भ : आ.क्र. पत्रांक-डी.ई.टी.पी./लखनऊ/लखनऊ-रायबरेली ओ०एफ०सी० दिनांक 17-11-2008।

महोदय,

आपके संदर्भित पत्र के क्रम में सामनादेश संख्या-2752/14-2-2-2008-800(98)/08 दिनांक 8-9-08 द्वारा यह कहने का निर्देश हुआ कि श्री राज्यपाल मंडलय जनपद रायबरेली में भारत संचार निगम लि० द्वारा लखनऊ-प्रतापगढ़ मार्ग संख्या-36 के कि०मी० 43.00 से 82.20 तक कुल 39.20 कि०मी० लम्बाई 0.45 मी० चौड़ाई में आंगणित क्षेत्रफल 1.764 हे० सुरक्षित वन भूमि में ओ०एफ०सी० विद्यमान के लिए गैर वानिकी कार्य हेतु अनुमति भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय गई दिल्ली के पत्रांक-11-9/98-एफ०सी० दिनांक 26-12-2007 में वन(संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा-2 के अन्तर्गत प्रदत्त सामान्य स्वीकृति के आधार पर निम्न शर्तों पर प्रदान करते हैं -

1. सुरक्षित वन क्षेत्र में किसी वृक्ष का पतन नहीं किया जायेगा।
2. केबल/टेलीफोन लाइन/पेय जल की पाइप लाइन मार्गों/सड़कों/वर्तमान अधिकाधिकारिता में प्रयुक्त रास्तों के किनारे-किनारे को दिखाया जायेगा।
3. प्रस्ताव शर्तों के अन्तर्गत केबल/टेलीफोन लाइन हेतु खोली गयी ट्रेंच की चौड़ाई 2.00 मी० रहनी एवं प्रस्ताव अन्तर्गत में कोई भी संयुक्त व. व. की कार्य नहीं करी जाये।
4. पर्यावरण एवं वन को क्षति नहीं पहुँचाने के लिए इस तरह से प्रकृत को संरक्षित करना होगा कि भू-संरक्षण को सम्भालना पड़े।
5. आवश्यक एजेण्टों द्वारा स्थानीय नियमों के अधीन वन विभाग से अनुमति प्राप्त की जायेगी।
6. वन भूमि को उपयोग के बाद उसका मूल स्वरूप पुनः लाने व भूमि एवं पर्यावरण में होने वाली क्षति को प्रातोपूर्ति के लिए पर्याप्त विचार एवं वित्तिय सहायता के लिये।
7. प्रस्ताविक दिनांक द्वारा अनुमति कार्य सम्पन्न से पूर्व वन विभाग को पूर्व अनुमति ली जायेगी।
8. भूमि को कम्प्लेक्स राइट्स(Surface Right) नहीं दिया जायेगा एवं वन भूमि को वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अतः वन का सम्भालण पूरा वन भारत पर्यावरण बना रहना।
9. कार्यदायी संस्था भारत संचार निगम लि० द्वारा प्रवेश के लिये मार्ग के किनारे 20 कि०मी० लम्बाई में किसी एक जनपद वृक्षारोपण हेतु अनुरोध, इन कार्यालय को वृक्षारोपण एवं वृक्षारोपण सुनाय मद में रु० 3923250/- (रुपया उन्नाली)

Handwritten signatures and dates: 11/9/08, 11/9/08, 11/9/08

मण्डलीय अभियन्ता
Divisional Engineer
पूर संचार परियोजना
Telecom Projects
भारतीय विमान विभाग
BENARAS

साख तैहस छहार दो सी पच्चास मात्र) का बैंक ड्राफ्ट संख्या- 3/4436 दिनांक 15/11/2008 द्वारा उपलब्ध करा दिया गया है।

10. कार्यदायी संस्था कार्यस्थल पर एक छोटा अस्थाई बॉर्ड लगाकर कार्य करेगी। जिस पर स्पष्ट रूप से कम्पनी का नाम एवं कार्य करने की अवधि का विवरण अंकित होगा तथा मौके पर कार्य करने की अनुमति की मर्यादा की हार्त मर्याद ने पास बैंकिंग हेतु हमेशा उपलब्ध रहेगी, जो कि मांगे जाने पर वह प्रस्तुत करेगा।
11. यदि कोई अवशेष धनराशि भविष्य में कम्पनी को जमा करने हेतु कक्ष जाता है तो कम्पनी तत्काल उस धनराशि को जमा करेगी।

अतः उक्त शर्तों का अनुपालन करते हुए कार्यदायी संस्था को कार्य करने की अनुमति दी जाती है, संस्था द्वारा उक्त कार्य प्रारम्भ करने की तिथि से छ. सप्ताह के अन्दर कार्य पूर्ण कर अधोहस्ताक्षरी को सूचित किया जायेगा।

भवदीय

 (ललित कुमार वर्मा)
 प्रशासकीय निदेशक
 सामाजिक वाणिज्य प्रभाग
 रायबरेली

धारा 11 / उपनिर्देशित

- सामाजिक का सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
1. मुख्य वन संरक्षक/ पोस्ट अधिकारी, वन उपयोग कृत्, उत्तर प्रदेश लखनऊ का उक्त पत्रांक-757/11-सी0-ओएफपीसी0 लखनऊ 4/11/2008 के क्रम में।
 2. मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ मण्डल, उ० प्र० लखनऊ।

/

(ललित कुमार वर्मा)
 प्रशासकीय निदेशक
 सामाजिक वाणिज्य प्रभाग
 रायबरेली

धारा 11 / उपनिर्देशित

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. उप प्रशासक वन अधिकारी, रायबरेली एवं सारनगंज।
2. क्षेत्रीय वन अधिकारी, रायबरेली एवं बछरावों।

Accepted
 Jaikumar 11/11/08
 (JAIPAI/11/08)

मण्डलीय अभियन्ता
 Divisional Engineer
 दूरसंचार परियोजना
 Telecom. Projects
 भारत संचार निगम लिमिटेड
 BSNL, Meerut

/

(ललित कुमार वर्मा)
 प्रशासकीय निदेशक
 सामाजिक वाणिज्य प्रभाग
 रायबरेली

FROM : DFORESBREYS

FAX NO. : 05352208719

15 Oct. 2013 1:57PM P1

Phone/Fax : 0535-2208719
E-Mail : dforebs@yahoo.co.in

कार्यालय प्रमाणीय निदेशक सामाजिक नानिकी प्रभाग- रायबरेली
पत्रांक 2090 / 14-4-2013

सेवा नं. रायबरेली प्रमाणीय वनपालिकाएँ/प्रमाणीय निदेशक, रायबरेली

विषय : भारत संघर्ष निगम लिमिटेड द्वारा जनपद रायबरेली में आयोजित जा रहे नृनिगत आर्थिकता के लिए विचार्य जाने वाले कार्य के सम्बन्ध में।

संदर्भ : इस कार्यालय की पत्र संख्या-453/22-1 दिनांक 08-9-2013, पत्रांक-4085/14-4-2013 दिनांक 01-3-2013 एवं पत्रांक-780/14-4-2013 दिनांक 08-2013।

महोदय,

उपरोक्त विभागक संदर्भित पत्रों के क्रम में अवगत कराया है कि प्रमुख वन संरक्षक, 3090 संरक्षक के पत्रांक-8-240/11-17 दिनांक 28-7-2013 द्वारा भारत संघर्ष निगम लिमिटेड को निर्देशित किया गया था कि रायबरेली वन प्रभाग के अंतर्गत 37,462 ल. अ. का क्षेत्र में भारत संघर्ष निगम लिमिटेड द्वारा जनपद रायबरेली की अवशेष प्रमाणीय 37,462 ल. अ. का क्षेत्र अपने पत्रांक-डी.ई.टी.पी.-1/एल.एन.एल. द्वारा नफ़्तक करायी गयी है। इस भारत संघर्ष निगम लिमिटेड द्वारा रायबरेली वन प्रभाग में कोई धनराशि जमा करने हेतु अवकाश नहीं है। अतः आप अपने कार्यालय में भारत संघर्ष निगम लिमिटेड को कार्य करने की अनुमति प्रदान कर सकते हैं।

भयबरेली
(अधीनस्थ निदेशक)
प्रमाणीय निदेशक,
सामाजिक नानिकी प्रभाग,
रायबरेली

- पत्रांक 2090 / 14-4-2013
- प्रतिनिधि निगमलिमिटेड/आधिकारियों को सूचनाएँ के अनुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
1. प्रमुख वन संरक्षक, 3090 संरक्षक
 2. प्रमुख वन संरक्षक, 3090 संरक्षक
 3. प्रमुख वन संरक्षक, 3090 संरक्षक
 4. प्रमुख वन संरक्षक/वन संरक्षक: 3090 संरक्षक।
 5. प्रमुख अभियन्ता, देलीकाय प्रोजेक्ट-1, क्वार्टर नं. 5.8.7 बी.एल.एन.एल. कालोनी रोड-2 विकास नगर, रायबरेली

Handwritten signature and name in blue ink:
M. Patel
S. K. Singh
C. J. P. S. M. C. M.

मण्डलीय अभियन्ता
Divisional Engineer
सूचना प्रौद्योगिकी
Telet. & Projects
भारतीय नगर निगम
BSR, Moradabad